

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 610]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 10, शक 1944

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ-1-8/2022/20-1/:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, "मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद् द्वारा "मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं मर्ती नियम, 2018" में निम्नानुसार संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

:: संशोधन ::

उक्त नियमों में—

1. नियम-2 में -

(एक) उपनियम (छ) के पश्चात् निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए अर्थात् -

(छक) "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" से अभिप्रेत है, समय समय पर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 2.07.2019 एवं दिनांक 18.07.2019 तथा अन्य कोई आदेश द्वारा यथा विनिर्दिष्ट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग,"

(दो) चयन नियम (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए अर्थात् -

(थक) "चयन परीक्षा" से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन शैक्षणिक संवर्ग के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए आयोजित की जाने वाली चयन परीक्षा।"

2. नियम-5 में, -

(एक) उप नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात् -

"(3) सहायक अध्यापक (प्रयोगशाला), सहायक अध्यापक (व्यायाम शिक्षक), सहायक अध्यापक (गायन/वादन), अध्यापक (व्यायाम शिक्षक) एवं अध्यापक (गायन/वादन) को क्रमशः प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, प्राथमिक शिक्षक खेलकूद, प्राथमिक शिक्षक गायन/वादन, माध्यमिक शिक्षक खेलकूद तथा माध्यमिक शिक्षक गायन/वादन के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अध्यापक (उद्योग) को उसके स्नातक विषय/विषय समूह के अनुसार माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया जाएगा।"

(दो) उप नियम (4) में, खण्ड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ग) स्थानापन्न रूप से कार्य करने हेतु नियुक्ति.- यदि पदोन्नति पदों की रिक्तियों को तत्काल भरने की आवश्यकता है, और उपयुक्त शिक्षक वरिष्ठता सह उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध हैं, तब संबंधित पद का नियुक्ति प्राधिकारी आगामी आदेश तक स्थानापन्न रूप से उच्च पद पर कार्य करने हेतु आदेशित कर सकेगा।

ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आदेशित शिक्षक का वरिष्ठता पर या ऐसे उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं होगा। परन्तु वह तब तक ऐसे उच्चतर पद को धारण कर सकेगा जब तक कि ऐसा शिक्षक, ऐसे उच्चतर पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करता है। ऐसा स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले अधिकारी, ऐसे उच्चतर पद पर पदोन्नत किसी शिक्षक द्वारा यथा प्रयोज्य ऐसे उच्चतर पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, जिस पर वह वर्तमान में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा है।”।

3. नियम 8 में, उप नियम (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(5) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है, शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया तथा समस्त वर्गों के अभ्यर्थियों की योग्यता सूची तैयार की जाने की प्रक्रिया शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी जिसमें हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन करने वाले शिक्षकों हेतु पृथक् पृथक् चयन प्रक्रिया निर्धारित की जा सकेगी।”।

4. नियम 11 में,-

(एक) उप नियम (1) तथा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किए जाएं, अर्थात्:-

“(1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक खेल, प्राथमिक शिक्षक, संगीत (गायन, वादन) माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन, वादन) प्राथमिक शिक्षक, नृत्य, प्राथमिक शिक्षक, आई.टी के पदों पर सीधी भर्ती, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार की जाएगी।

“(2) शिक्षक पात्रता परीक्षा जो इसमें इसके पश्चात् पात्रता परीक्षा के नाम से निर्दिष्ट है विहित प्रक्रिया अनुसार संचालित की जाएगी। यह पात्रता परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी पात्रता परीक्षा की वैधता आजीवन रहेगी। वर्ष 2018 एवं इसके बाद आयोजित पात्रता परीक्षा के लिए आजीवन वैधता लागू होगी।”

(दो) उप नियम (7) में, खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के अनुसार 6 प्रतिशत पदों का आरक्षण प्रत्येक श्रेणी के लिए 1.5 प्रतिशत की सीमा के अध्यधीन रहते हुए निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-

(क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि।

(ख) बहरे और कम सुनने वाले।

(ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग मुक्त, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित, मसकुलर डिस्ट्रोफी सम्मिलित हैं।

(घ) बहु विकलांगता जिसमें ऊपर (क), (ख) तथा (ग) की निशक्ता सम्मिलित है।

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी/मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी न्यूनतम 40% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा)

दिव्यांग आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-‘8-2/2013/अ.प्र./1 दिनांक 30 जून 2014 के अनुसार आरक्षण वर्गवार न होकर दिव्यांगों की श्रेणीवार होगा। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों के अनुरूप ही आरक्षण देय होगा।

(तीन) उप नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“शिक्षकों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विषयमान से चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता अर्जित करने वाले अभ्यर्थी ही भाग ले सकेंगे। शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा के आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। चयन परीक्षा शासन द्वारा विहित अभिकरण द्वारा संचालित की जाएगी। नियुक्ति के लिए विज्ञापन एवं प्रक्रिया राज्य शासन के कार्यपालिक आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।”।

5. नियम 21 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

“21. व्यावृत्ति.- इन नियमों में कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए राज्य शासन द्वारा समय समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबन्ध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथीलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।”।

6. अनुसूची एक, अनुसूची दो, अनुसूची तीन तथा अनुसूची चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:-

**अनुसूची-एक
(नियम-5)
शैक्षणिक संवर्ग**

अनु क्रमां क	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिक र्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	प्राचार्य हाईस्कूल/उप प्राचार्य	1050+64	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 + 4200 ग्रेड-पे (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-10 42700-135100)	आयुक्त लोक शिक्षण	—
2.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	34789	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-9 36200-114800)	आयुक्त लोक शिक्षण	—
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	द्वितीय श्रेणी	9300-34800 + 3600 ग्रेड-पे (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-9 36200-114800)	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	—
4.	माध्यमिक शिक्षक	60,686	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संयुक्त संचालक लोक शिक्षण	—
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	—
6.	माध्यमिक शिक्षक संगीत- गायन/वादन	700	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	—

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
7.	माध्यमिक शिक्षक आईटी	0* (प्रक्रिया धीन)	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण	
8.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250	तृतीय श्रेणी	9300-34800+3200 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-8 32800-103600)	जिला शिक्षा अधिकारी	-
9.	प्राथमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	1,25,243	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-6 25300-80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
10.	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-6 25300-80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
11.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	8515	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-6 25300-80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
12.	प्राथमिक शिक्षक संगीत(गायन/वादन)	150	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-6 25300-80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	

अनु क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्तिकर्ता अधिकारी	अभ्युक्ति
13.	प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य	254	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-6 25300-80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	
14.	प्राथमिक शिक्षक-आई. टी.	762	तृतीय श्रेणी	5200-20200+2400 (ग्रेपे) (सातवां वेतनमान में पे-लेवल-6 25300-80500)	जिला शिक्षा अधिकारी	

*पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी ।

अनुसूची-दो
(नियम 5 और 14)
शैक्षणिक संवर्ग

अनु क्रमांक	पदों के नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत	
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्राचार्य हाईस्कूल / उप प्राचार्य	1050+64	---	100 प्रतिशत
2.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	34789	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
3.	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	250	---	100 प्रतिशत
4.	माध्यमिक शिक्षक	60686	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	931	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
6.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन नृत्य)	700	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
7.	माध्यमिक शिक्षक आईटी	0* प्रक्रियाधीन	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत
8.	प्रधानाध्यापक प्राथमिक शाला	250		100 प्रतिशत
9.	प्राथमिक शिक्षक/प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	125243	100 प्रतिशत	—
10.	प्राथमिक शिक्षक खेल	860	100 प्रतिशत	—
11.	प्राथमिक शिक्षक विज्ञान को प्रयोगशाला शिक्षक के पद पदस्थ किया जा सकेगा।	8515	100 प्रतिशत	—
12.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	150	100 प्रतिशत	—
13.	प्राथमिक शिक्षक संगीत नृत्य	254	100 प्रतिशत	
14.	प्राथमिक शिक्षक आईटी	762	100 प्रतिशत	

*पद स्वीकृति की प्रक्रिया जारी

(1) जैसे जैसे विभाग के नियमित केंद्रर यथा सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, व्याख्याता के पदों (डाइंग केंद्रर में) पर कार्यरत लोक सेवक सेवानिवृत्त होते जाएंगे वैसे वैसे उनके पद इसमें जुड़ते जाएंगे।

(2) उच्च माध्यमिक शिक्षक (कृषि) के 100 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे।

**अनुसूची-तीन
(नियम 8)**

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	1. संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ बी.एड. अथवा समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत, चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। 3. संस्कृत पाठशाला के उच्च माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि में मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में आचार्य उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी. एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।
2.	माध्यमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक उपाधि	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. संबंधित विषय से तात्पर्य है कि संबंधित मुख्य विषय का 3 वर्ष तक अध्ययन किया हो। 3. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(बी.एड.) अथवा संबंधित विषय में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक उपाधि एवं इस संबंध में समय समय पर जारी एनसीटीई विनियमों के अनुसार शिक्षा 'शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक बी.एल.एड. अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा संबंधित विषय में चार वर्षीय स्नातक उपाधि बीए बीएड/ बीएससी बी एड या बीए एड अथवा बीएससी एड अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक	4. संस्कृत पाठशाला के माध्यमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी के साथ शास्त्री उपाधि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त बी.एड./ डी.एल.ई.डी उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा तथा निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण।

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				उपाधि तथा एक वर्षीय बी.एड (विशेष शिक्षा) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
3.	प्राथमिक शिक्षक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्ष का डिप्लोमा अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा जिसने शिक्षा स्नातक (बीएड)एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी. एड) की उपाधि प्राप्त की है, उन पर कक्षा 1 से 5 पढ़ाने हेतु नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा। किन्तु इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा से चयन संबंधी प्रावधान शिथिल कर सकेगा। 3. संस्कृत पाठशाला के प्राथमिक शिक्षक (संस्कृत) के संबंध में संस्कृत साहित्य/व्याकरण आदि विषय के साथ मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त डी.एलएड/ बी. एड उपाधि धारित करना अनिवार्य होगा।

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				से प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी और एनसीटीई (मान्य सन्नियम और प्रक्रिया) विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में चार वर्षीय स्नातक उपाधि (बी.एल.एड.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायरसेकेण्डरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष	

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
4.	प्राथमिक शिक्षक / विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी -विज्ञान संकाय में तथा डी.एल. डी. या बी.एड. में पत्रोपाधि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों में विभाग चयन परीक्षा में उपरोक्त प्रावधानों को शिथिल कर सकेगा। 3. ऐसे प्राथमिक शिक्षक जो हायर सेकेण्डरी परीक्षा विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण होंगे उन्हें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान/प्रयोगशाला सहायक के पद पर पदस्थ किया जा सकेगा।
5.	माध्यमिक शिक्षक खेल	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	1. शारीरिक शिक्षा में 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक (बी.पी.एड.) अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.ई)	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				अथवा उसके समकक्ष (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	होना अनिवार्य होगा।
6.	प्राथमिक शिक्षक-खेल	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा/ बीपीएड/ बीपीई या उसके समकक्ष (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा।
7.	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से बी.म्यूज/एम.म्यूज / (बी.आई.डी/ कोविद/रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	होगा
8.	प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन/वादन)	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन/ वादन में डिप्लोमा अथवा बी. म्यूज/ एम.म्यूज/ व्ही. आई.डी/ कोविद/रत्न या बी.म्यूज के समकक्ष। (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचितजनजाति,अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
9.	प्राथमिक शिक्षक संगीत-नृत्य	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी. म्यूज नृत्य/एम.म्यूज नृत्य/नृत्य में व्ही.आई. डी./कोविद/रत्न में पत्रोपाधि या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा

अनुक्रमांक	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	
10.	माध्यमिक शिक्षक -आई टी	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी.ई./कम्प्यूटर विज्ञान/आई.टी./कम्प्यूटर इंजीनियरिंग/सॉफ्टवेयर में स्नातक/स्नातकोत्तर (2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
11.	प्राथमिक शिक्षक -आई टी	21 वर्ष	सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार	न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ हायर सेकेण्डरी (या उसके समकक्ष) तथा 3 वर्ष का -कंप्यूटर साइंस/आई.टी./कंप्यूटर इंजीनियरिंग/सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा अथवा डिग्री	1. निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण। 2. पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा
				(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त अभ्यर्थियों को अर्हताकारी अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।	

**अनुसूची-चार
(नियम 14)**

अनु. क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उच्च माध्यमिक शिक्षक	प्राचार्य हाईस्कूल / उप प्राचार्य	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2) संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक -सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक-सदस्य सचिव	-
2.	1. माध्यमिक शिक्षक 2. प्रधानाध्यापक (माध्यमिक शाला)	उच्च माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) आयुक्त लोक शिक्षण-अध्यक्ष (2)संचालक, लोक शिक्षण -सदस्य (3) अतिरिक्त संचालक/संयुक्त संचालक -सदस्य (4)उप संचालक /सहायक संचालक-सदस्य सचिव	-
3.	माध्यमिक शिक्षक	प्रधानाध्यापक माध्यमिक शाला	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण - अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी -सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल -सदस्य (4) सहायक संचालक - सदस्य सचिव	-
4.	1. प्राथमिक शिक्षक / 2. प्राथमिक शिक्षक विज्ञान 3. प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	माध्यमिक शिक्षक	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण - अध्यक्ष (2)जिला शिक्षा अधिकारी -सदस्य (3)प्राचार्य हायर सेकेंड्री स्कूल -सदस्य	-

अनु. क्रमांक	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	पद के लिये अनुभव	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्ति
				(4) सहायक संचालक — सदस्य सचिव	
5.	प्राथमिक शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक विज्ञान	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक शाला)	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण — अध्यक्ष (2) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल — सदस्य (4) सहायक संचालक — सदस्य सचिव	—
6.	प्राथमिक शिक्षक—खेल	माध्यमिक शिक्षक—खेल	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण — अध्यक्ष (2) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल — सदस्य (4) सहायक संचालक — सदस्य सचिव	—
7.	1. प्राथमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन) 2. प्राथमिक शिक्षक नृत्य	माध्यमिक शिक्षक संगीत (गायन वादन, नृत्य)	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण — अध्यक्ष (2) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल — सदस्य (4) सहायक संचालक — सदस्य सचिव	पदों की संख्या के अनुपात में
8.	प्राथमिक शिक्षक आईटी	माध्यमिक शिक्षक आईटी	05 वर्ष	(1) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण — अध्यक्ष (2) जिला शिक्षा अधिकारी — सदस्य (3) प्राचार्य हायर सेकेण्ड्री स्कूल — सदस्य (4) सहायक संचालक — सदस्य सचिव	

टीप—

(1) ऐसे माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक जिन्होंने शिक्षकों के राष्ट्रीय/राज्य योजना पुरस्कार स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त किया हो उन्हें पारी बाहर पदोन्नति दी जाएगी:

परन्तु उसे वरिष्ठ वेतनमान/समयमान वेतनमान (टाईप-पे-स्केल) या तत्स्थानी उच्चतर वेतनमान प्राप्त हुआ हो तथा पदोन्नति के लिए अन्यथा पात्र हो।

(2) ऐसा लोक सेवक जिसे कॉलम-1 के अनुक्रमांक-1 में उल्लिखित हाईस्कूल के प्राचार्य के पद पर पदोन्नत किया हो, उसे 3 वर्ष के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अनिवार्य रूप से पदस्थ किया जाएगा। पदोन्नत लोक सेवक को शैक्षणिक प्रबंधन में पत्रोपाधि (डिप्लोमा) प्रमाण पत्र देने वाली किसी मान्यता प्राप्त संस्था से एक माह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त सीमेट या भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर से एक माह का नेतृत्व प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। सीमेट द्वारा यह प्रशिक्षण किये जाने पर परियोजना क्रियान्वयन मॉड्यूल भारतीय प्रबंधन संस्थान, इंदौर अथवा अन्य किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान से बनवाया जाएगा। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित पदोन्नत लोक सेवक को एक वर्ष का अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर संबंधित लोक सेवक को उसके पदोन्नति के पूर्व पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

N0.F 01-08/2022/20-1:: In exercise of the powers conferred by article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh School Education service (Teaching Cadre), Service Conditions and Recruitment Rules, 2018, namely:-

:: AMENDMENTS ::

In the said rules-

1- In rule 2,-

(i) After sub-rule (g) the following sub-rule shall be inserted, namely -

(ga) "Economically Weaker Section" means the economically weaker section as specified by instructions issued on 2.07.2019 and 18.07.2019 and any other order issued by G.A.D. from time to time."

(ii) After sub-rule (q) the following sub-rule shall be inserted, namely :-

"(ga) "Selection Test" means the selection test to be conducted for appointment to the posts of direct recruitment of teaching cadre under these rules;"

2- In rule 5,-

(i) For sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely-

(3) Sahayak Adhyapak (Prayogshala), Sahayak Adhyapak (Vyayam Sikhashak), Sahayak Adhyapak (Gayan/Vadan), Adhyapak (Vyayam Sikhashak) and Adhyapak (Gayan/Vadan) shall be appointed on the post of Prathamik Shikshak Vigyan, Prathamik

Shikshak Khelkood, Prathamik Shikshak Gayan/Vadan, Madhyamik Shikshak Khelkood and Madhyamik Shikshak Gayan/Vadan respectively. The Adhyapak (Udyog) will be appointed to the post of Madhyamik Shikshak according to his/her graduation subject/subject group.”;

- (ii) In sub-rule (4), after clause (b) the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) appointment for officiating:-

In case if it is necessary to fill up vacancies of promotion posts immediately, and suitable teachers are available on seniority cum merit basis and passes the qualification of the post then the appointing authority of the concerned post may issue an order for officiating on higher rank until further orders. The teachers so ordered to officiate at such higher rank, shall have no right to claim seniority or pay of such higher rank, of such higher post. Such officiating teacher shall exercise all the powers of such higher post as exercisable by an teacher promoted to such higher rank, to which he is currently officiating.”.

3. In rule 8, after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(5) Teacher Eligibility test will be mandatory for the candidate who have passed to participate in the teacher selection test. The process of appointment and the process of preparing the merit list of candidates of all categories will be specified by the executive order of the government, in which separate selection process can be prescribed for teachers teaching through Hindi and English medium.”.

4. In rule 11,-

- (i) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) After commencement of these rules, appointment to the post of direct recruitment of Prathmik Shikshak, Madhyamik Shikshak, Uchch Madhyamik Shikshak, Prathmik shikshak Khel, Madhyamik shikshak Khel, Prathmik shikshak, Music (Gayan/Vadan), Madhyamik shikshak Music (Gayan/Vadan) Prathmik Shikshak (Dance), Prathmik Shikshak (IT) shall be made in accordance with the provisions of these rules.";

- (ii) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"The Teacher Eligibility Test hereinafter referred to as the Eligibility Test, shall be conducted in accordance with the prescribed procedure. This eligibility test will be conducted by the agency prescribed by the government; the validity of the eligibility test will be for life. Lifetime validity will be applicable for the eligibility test held in the year 2018 and onwards.";

- (iii) In sub-rule (7), for Clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) As per the provisions of the Right of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and Madhya Pradesh Right of Persons with Disabilities Rules, 2017 six percent posts shall be reserved for disabled persons, subject to the ceiling of 1.5% for each category, namely:-

- (a) Blindness and low vision.

- (b) Deaf and hard of hearing.
- (c) Locomotor Disability including Cerebral Palsy, Leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy;
- (d) Multiple disabilities including (a),(b),and (c), as above;
(Minimum 40% disability certificate issued by the Notified Medical Authority / Medical Board will be valid)

According to the letter number F-'8-2/2013/A.P./1 dated June 30, 2014, issued by the General Administration Department regarding the reservation of Divyang, the reservation will not be class-wise but category-wise of the Divyang. Reservation will be given as per the instructions of the General Administration Department.”;

- (iv) For sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“Subject wise selection test will be organized to fill the vacant posts of teachers. Only the candidates who have qualified in the Teacher Eligibility Test will be able to participate in this selection test. Selection list will be prepared on the basis of selection test for appointment to vacant posts of teachers. The selection test will be conducted by the agency prescribed by the government. The advertisement and procedure for appointment will be specified by the executive order of the state government.”.

5. For rule 21, the following rule shall be substituted, namely:-

“(21) **Saving** - Nothing in these rules shall affect the reservation, relaxation and other conditions required for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections in accordance with the rules and orders issued by the State Government, from time to time in this regard.”.

6. For Schedule-I, Schedule-II, Schedule-III and Schedule-IV, following Schedules shall be substituted, namely:-

Schedule -1
(Rule 5)

Sr. No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)	(7)
1.	Principal, High School/Vice Principal	1050+64	Class-II	9300-34800+4200 GP Pay level-10 in 7 th Pay Commission (42700-135100)	Commissioner, Public Instruction	
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	34789	Class-II	9300-34800+3600 GP Pay level-9 in 7 th Pay Commission (36200-114800)	Commissioner, Public Instruction	
3.	HeadMaster, Middle School	250	Class-II	9300-34800+3600 GP Pay level-9 in 7 th Pay Commission (36200-114800)	Joint Director, Public Instruction	
4.	Madhyamik Shikshak	60686	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7 th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	
5.	Madhyamik Shikshak - Khel	931	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7 th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	
6.	Madhyamik Shikshak - Music-GayanVadan	700	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7 th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	

Sr. No.	Name of the posts	No. of posts	Classification	Pay-Band	Appointing Authority	Remarks
7.	Madhyamik Shikshak - IT	0 (under Process)	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7 th Pay Commission (32800-103600)	Joint Director, Public Instruction	
8.	Head Master Primary School	250	Class-III	9300-34800+3200 GP Pay level-8 in 7 th Pay Commission (32800-103600)	District Education Office	
9.	Prathmik Shikshak/ PRathmik Shikshak Vigyan	125243	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7 th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
10.	Prathmik Shikshak - Khel	860	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7 th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
11.	Prathmik Shikshak-vigyan	8515	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7 th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
12.	Prathmik Shikshak - Music- Gayan/Vadan	150	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7 th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
13.	Prathmik Shikshak - Music-Nrity(Dance)	254	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7 th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	
14.	Prathmik Shikshak -IT	762	Class-III	5200-20200+2400 GP Pay level-6 in 7 th Pay Commission (25300-80500)	District Education Office	

* Post creation is under process.

Schedule -2
(Rule 5 and 14)

Sr.No.	Name of posts	No. of posts	Percentage of posts to be filled	
			By direct recruitment	By promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Principal, High School/Vice Principal	1050+64	-	100
2.	Uchch Madhyamik Shikshak	34789	50	50
3.	Head Master Middle School	250	-	100
4.	Madhyamik Shikshak	60686	50	50
5.	Madhyamik Shikshak -Khel	931	50	50
6.	Madhyamik Shikshak -Music-GayanVadan, Nrity	700	50	50
7.	Madhyamik Shikshak -IT	0 (under Process)	50	50
8.	Head Master Primary. School	250		100
9.	Prathmik Shikshak/Prathmik Shikshak Vigyan	125243	100	-
10.	Prathmik Shikshak -Khel	860	100	-
11.	Prathmik Shikshak -vigyan	8515	100	-
12.	Prathmik Shikshak -Music-GayanVadan	150	100	-
13.	Prathmik Shikshak -Music-Nrity(Dance)	254	100	-
14.	Prathmik Shikshak -IT	762	100	-

* Post creation is under process.

- (1) As soon as the public servants working in the regular cadre of the department such as assistant teacher, upper division teacher, lecturer (in the dyeing cadre) retire, their posts will be added to it.
- (2) 100% posts of Uchch Madhyamik Shikshak (Agriculture) will be filled by direct recruitment.

Schedule -3
(Rule 8)

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uchh Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Masters Degree in the relevant subject with second division and Bachelor of education (B.Ed) or its equivalent.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. 3. In respect of UMS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Acharya degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it will be mandatory to possess B.Ed degree.

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Madhyamik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Bachelors Degree in the relevant subject and 2 years Diploma in Elementary Education or its equivalent. OR Bachelor's Degree in the relevant subject with at least 50% marks and One year Bachelor in Education (B.Ed.). OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 45% marks and One year Bachelor in Education (B.Ed.) in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, issued from time to time in this regard. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. Related subject means that the related main subject has been studied for 3 years in graduation. 3. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. 4. In respect of MS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Shastri degree in Sanskrit Literature/Grammar etc. in second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it will be mandatory to

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed.). OR Higher Secondary or equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor Degree in the relevant subject (B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed or B.A,Ed./B.Sc., Ed.) OR Bachelor Degree in the relevant subject with at least 50% marks and One year B.Ed. (Special Education). 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	possess B.Ed degree/D.L.ED

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Prathmik Shikshak	21 years	As per instructions of General Administration Department	1. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Elementary Education. OR "Graduation with at least 50% marks and Bachelor of Education (B.Ed.)" Who has acquired the qualification of Bachelor of Education from any National Council for teacher education Recognized institution shall be considered for appointment as a teacher in Classes 1st to 5th provided the person so appointed as a teacher shall mandatory undergo a six month bridge course in Elementary Education recognized by the National Council for Teacher Education within 2 years of such	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment department may relax the above requirement. 3. In respect of PS (Sanskrit) of Sanskrit Pathshala, Uttar Madhyama in Sanskrit Literature/Grammar etc. with second class from a recognized Institute/University shall be the minimum educational qualification. Apart from this, it will be mandatory to

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				appointment as Primary Teacher. Or Higher Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and 2 years Diploma in Elementary Education in accordance with the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2002. OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 4 years Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.). OR Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 2 years Diploma in Education (Special Education).	possess B:Ed degree/D.L.ED

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				OR Graduation and 2 year Diploma in Elementary Education or its equivalent. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Persons with disabilities	
4.	Prathmik Shikshak vigyan/Prayogshala Sahayak	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with atleast 50% marks in Science faculty. With D.el.ed or B.Ed Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test. In cases of compassionate appointment department may

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					relax the above requirement. 3. Such primary teachers who will have cleared Higher Secondary Examination with Science subject can be posted as Primary Teacher Science/ Prayogshala Sahayak
5.	Madhyamik Shikshak-Khel	21 years	As per instructions of General Administration Department	B.P.Ed./B.P.E./bachelor of physical education with at least 50% marks or its equivalent 2. Relaxation up to 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.	Prathmik Shikshak-Khel	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with at least 50% marks & Diploma in Physical education from recognized institution. Or B.P.Ed./B.P.E./bachelor of physical education or its equivalent 2.Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.
7.	Madhyamik Shikshak-Music-GayanVadan,	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher Secondary with at least 50% marks and B Mus. /M.Mus./Vid/Kovid/ Ratana or equivalent to B Mus. 2.Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	
8.	Prathmik Shikshak -Music- GayanVadan	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with at least 50% marks and diploma in GayanVadan /B Mus. /M.Mus./Vid/K.ovid/ Ratana or equivalent to B Mus Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.
9.	Prathmik Shikshak -Music- Nity (Dance)	21 years	As per instructions of General Administration Department	Higher secondary with atleast 50% marks and diploma in Dance /B Mus. Dance/M.Mus. dance /Vid/K.ovid/ Ratana in Dance or equivalent to B Mus dance	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected

Sr. No.	Name of posts	Minimum age limit	Maximum age limit	age	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
					Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	through the selection test.
10.	Madhyamik Shikshak-IT	21 years	As per instructions of General Administration Department		B.E./Graduation/Post graduation in computer science / IT/Computer engineering with at least 50% marks 2. Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	1. Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.
11.	Prathmik Shikshak-IT	21 years	As per instructions of General Administration Department		. Higher Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and 3 years Diploma /Degree in Computer science/IT/Computer engineering software 2. Relaxation upto 5% in the qualifying marks shall be allowed to the candidates belonging to reserved categories, such as Scheduled Castes, Scheduled Tribes. Other Backward Classes and Persons with disabilities.	Passed Teacher Eligibility Test with prescribed percentage. 2. After passing the eligibility test, it will be mandatory to be selected through the selection test.

Schedule -4
(Rule 14)

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Uttar Madhyamik Shikshak	Principal, High School/Vice Principal	05 years	1. Commissioner, Public Instruction —Chairperson 2. Director, Public instruction —Member 3. Additional Director/Joint Director — Member 4. Deputy Director/Asst. Director —Member Secretary	
2.	1. Madhyamik Shikshak 2. Hachaster Madhyamikshala	Uttar Madhyamik Shikshak	05 years	1. Commissioner, Public Instruction —Chairperson 2. Director, Public instruction — Member 3. Additional Director/Joint Director — Member 4. Deputy Director/Asst. Director —Member Secretary	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Madhyamik Shikshak	Headmaster Madhyamik shala	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction —Chairperson (2) District Education Officer —Member (3) Principal Higher Secondary School —Member (4) Assistant Director —Member Secretary	
4.	1.Prathmik Shikshak/ 2.Prathmik Shikshak Vigyan 3.Headmaster (Prathmik Shala)	Madhyamik Shikshak	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction —Chairperson (2) District Education Officer —Member	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				3. Principal Higher Secondary School — Member 4. Assistant. Director — Member Secretary	
5.	Prathmik Shikshak/Prathmik Shikshak Vigyan	Headmaster (Primary School)	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson (2) District Education Officer — Member (3) Principal Higher Secondary School — Member (4) Assistant. Director — Member Secretary	
6.	Prathmik Shikshak -Khel	Madhyamik Shikshak -Khel	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson (2) District Education Officer — Member	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(3)Principal Higher Secondary School —Member (4)Assistant. Director —Member Secretary	
7.	Prathmik Shikshak -Music- GayanVadan Prathmik Shikshak Dance (Nity)	Madhyamik Shikshak -Music- GayanVadan, Nity	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson (2)District Education Officer— Member (3) Principal Higher Secondary School— Member (4) Assistant Director —Member Secretary	Ratio of post to be maintained
8.	Prathmik Shikshak -IT	Madhyamik Shikshak -IT	05 years	(1) Joint Director, Public Instruction — Chairperson	

No.	Name of the Post from which promotion is to be made	Name of the post on which promotions is to be made	Experience for the post	Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				(2) District Education Officer —Member (3) Principal Higher Secondary School —Member (4) Assistant. Director —Member Secretary	

Note:

- (1) The Madhyamik Shikshak and Primary Shikshak who has received the President's/Governor's Award under the Scheme of National Award/State Award to teachers shall be given out of turn promotion:

Provided that he has obtained the Senior Pay Scale/Time Pay Scale or any other corresponding Higher Pay Scale and is otherwise eligible for promotion.

- (2) The Public servant promoted to the post of Principal, High School mentioned in Serial Number 1 of Column (1) shall compulsorily be posted in rural area for three years. The promoted public servant shall have to undergo training for a

month by an institution recognized for awarding diploma certificate in educational management. In addition, leadership training of one month from SIEMAT or Indian Institute of Management, Indore will be required to be required to be undergone. In case of leadership training by SIEMAT, the project implementation module shall be required to be prepared by Indian Institute of Management, Indore or by any other reputed Institute of Management. An additional time of one year shall be given to those promoted public servant who are not able to complete the training successfully. The public servant not completing training successfully despite this opportunity shall be reverted back to the previous post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओ. एल. मंडलोई, उपसचिव.